Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017

Section 11: Other provisions relating to cess

- (1) The provisions of the Central Goods and Services Tax Act, and the rules made thereunder, including those relating to assessment, input tax credit, non-levy, short-levy, interest, appeals, offences and penalties, shall, as far as may be, *mutatis mutandis*, apply, in relation to the levy and collection of the cess leviable under section 8 on the intra-State supply of goods and services, as they apply in relation to the levy and collection of central tax on such intra-State supplies under the said Act or the rules made thereunder.
- (2) The provisions of the Integrated Goods and Services Tax Act, and the rules made thereunder, including those relating to assessment, input tax credit, non-levy, short-levy, interest, appeals, offences and penalties, shall, *mutatis mutandis*, apply in relation to the levy and collection of the cess leviable under section 8 on the inter-State supply of goods and services, as they apply in relation to the levy and collection of integrated tax on such inter-State supplies under the said Act or the rules made thereunder:

Provided that the input tax credit in respect of cess on supply of goods and services leviable under section 8, shall be utilised only towards payment of said cess on supply of goods and services leviable under the said section.

www.cggst.com

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 11 : उपकर से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध

- (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय, अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, जहां तक हो सके, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण, के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
- (2) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निर्धारण, इनपुट कर प्रत्यय अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, माल और सेवा की अन्तरराज्यिक पूर्ति पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन माल और सेवा की ऐसी अन्तरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं:

परन्तु धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उपकर के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग उक्त धारा के अधीन उद्ग्रहणीय माल और सेवाओं की पूर्ति पर उक्त उपकर के संदाय के लिए ही किया जाएगा।